LOK SABHA

Wednesday, April 19, 1978/Chaitra 29, 1900 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

त्रिपुरा की जनसंख्या

*781. **श्री विनायक प्रसाद यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलादेश बनाने से पहले त्रिपुरा राज्य की जनसंख्या कितनी थी और उसमें से पर्वतीय आदिवासियों और गैर-पर्वतीय आदिवासियों की पृथक-पृथक जनसंख्या कितनी थी ;

(ख) उपरोक्त राज्य की वर्तमान जनसंख्या कितनी है और पर्वतीय आदिवासियों तथा गैर-पर्वतीय आदिवासियों की पृथक-पृथक जनसंख्या कितनी है ; और

(ग) जब बंगलादेश बना उस समय राज्य में शरणार्थियो की संख्या कितनी थी और इस समय उनकी संख्या कितनी है ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) 1971 की जनगणना के अनुसार 1 अप्रैल, 1971 को त्रिपुरा राज्य की जनसख्या 1,556,342 थी । उनमें से 450,544 अथवा 28.95% अनुसूचित जनजाति के थे (पर्वतीय आदिवासियो तथा गैर-पर्वतीय आदिवासियो की जनसंख्या का अलग-अलग ब्यौरा उपलब्ध नहीं है) ।

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि अगली जनगणना 1981 में होनी है ।

(ग) 25 मार्च, 1971 को त्रिपुरा में प्रवासी परिवारों की संख्या 75,710 थी । इसके अतिरिक्त 25 मार्च, 1971 और दिसम्बर, 1971 के बीच 13.82 लाख शरणार्थी त्रिपुरा में आये थे और उनमें से लगभग सभी वापस जा चुके हैं । 31 दिसम्बर, 1977 को प्रवासी परिवारों की संख्या 75,871 है ।

श्री विनायक प्रसाद यादव : अध्यक्ष जी, उत्तर में कहा गया है कि शरणार्थियों की संख्या 75,710 के अलावा 13.82 लाख रिफ्यूजी जो आये थे वह 1971 तक सब वापस चले गये ।

त्रिपुरा सरकार का कहना है कि वहां प्रतिदिन शरणार्थी बांगला देश से आया करते हैं और इतनी ज्यादा मात्रा में अभी भी आते हैं कि वहां का जो इकोनामिक ढांचा है उस पर बुरा असर पड़ता है । अभी लोक सभा की एस्टीमेट कमेटी रूरल अनएम्प्लायमेंट प्रोबलम के सम्बन्ध में बात करने के लिये त्रिपुरा गयी थी तो वहां की सरकार का कहना था कि प्रति दिन अभी भी काफ़ी तादाद में बांगला देश से रिफ्यूजी वहां आते हैं और उनको रोकने का कोई भी .....

MR. SPEAKER: Please come to the question. You are making a statement.

श्री विनायक प्रसाद यादव : सरकार तो यह कहती है कि अभी 75,571 सिर्फ वहां रिफ्यूजी हैं । हमारा कहना है त्रिपुरा सरकार के मुताबिक कि वहां इससे ज्यादा रिफ्यूजी हैं और हर दिन रिफ्यूजी आया करते

हैं जिसको रोकने का कोई भी वहां की सरकार के पास अधिकार नहीं है। तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अभी तक जो रिफ्यूजी बांगला देश से त्रिपुरा स्टेट में आया करते हैं उसको रोकने का सरकार के पास, सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास कौन सा कानून है या अख्तियार है जो अभी भी रिफ्यूजीज का आना बन्द नहीं हो रहा है, और जो आते हैं त्रिपुरा में ही रह जाते हैं। इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कहना है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : अध्यक्ष महोदय, बांगला देश से कुछ लोग असम में भी, त्रिपुरा में भी और वैस्ट बंगाल में भी आ रहे हैं, लेकिन बहुत कम तादाद में वह एक आम समस्या है जो त्रिपुरा तक ही सीमित नहीं है। उस पर सरकार विचार कर रही है कि क्या किया जाय।

श्री सोमजी भाई डामोर : माननीय अध्यक्ष जी, जो बांगला देश से शरणार्थी त्रिपुरा में आये है वह आदिवासियों का शोषण करते है। तो इसके बारे में सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री धनिक लाल मंडल : बंगला देश से शरणार्थी त्रिपुरा में आये हैं। 1947 से ही वहां पर लोगों का आना जारी है। 1947 से 1958 के बीच लगभग 69,000 परिवार आये और 1964 से 1971 के बीच लगभग 6 हजार परिवार आये। यह कुल मिलाकर 75751 परिवार बनते है। 25 मार्च, 1971 जिस दिन बंगला देश बना, उसके बाद जो लोग आये, वह सब लौट गये हैं। इसलिये 1947 से 1971 के बीच जो परिवार आये, और धीरे-धीरे आते रहे, वहा बसते रहे उसने उनकी इकनामी पर प्रभाव पड़ा है, जैसा कि माननीय सदस्य कहते हैं। सब बातों को ध्यान में रखकर केन्द्रीय सरकार वहां की सरकार को मदद देती है जिससे उन पर जो बोझ पड़ा है, वह कम किया जा सके।

Implementation of Recommendations of R. C. Dutt Committee

*783. **SHRI SAUGATA ROY**: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether the previous Government appointed R. C. Dutt Committee to find out the problem of Bengal Film Industry;

(b) what are the recommendations;

(c) whether the previous Government implemented those recommendations; and

(d) if not, whether the present Government desire to implement those recommendations?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) to (d). Yes, Sir. A statement is laid on the Table of the House.

Statement

The R. C. Dutt Committee on problems of film industry in West Bengal made the following recommendations:

1. To meet the shortage of cinema houses in West Bengal and to facilitate the exhibition of films produced in the State as part of an all-India effort in this direction, a comprehensive public sector Corporation should be set up with adequate capital, and entrusted with the work of import an possibility of export also of films, of distribution of imported films and with the construction of chinema houses either directly or in collaboration with private parties. Such a Corporation should depend not only on its capital resources but on the profits that is generated for financing the construction of cinema houses.

2. A scheme for setting up a colour film laboratory in the joint sector in collaboration with other parties in the film industry of West Bengal interested in this matter should be